

बिहार सरकार
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक:- अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में उद्योग विभाग में Knowledge Partner for Investment Promotion and Investor Facilitation Support हेतु M/s Ernst & Young LLP, Haryana को माह अगस्त-2025, सितम्बर-2025, अक्टूबर-2025, नवम्बर-2025 एवं दिसम्बर-2025 तक का कुल परामर्शी शुल्क यथा ₹1,45,24,120.00 + ₹13,70,200.00 (10% I.T.D.S.)+ ₹2,74,040.00 (2% G.S.T.) = अर्थात् कुल ₹1,61,68,360.00 /-(एक करोड़ एकसठ लाख अड़सठ हजार तीन सौ साठ रुपए) मात्र की राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निवेश प्रोत्साहन एवं निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए शूलक भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत M/s Ernst & Young LLP, Haryana को माह अगस्त-2025, सितम्बर-2025, अक्टूबर-2025, नवम्बर-2025 एवं दिसम्बर-2025 तक का कुल परामर्शी शुल्क यथा ₹1,45,24,120.00 + ₹13,70,200.00 (10% I.T.D.S.)+ ₹2,74,040.00 (2% G.S.T.) = अर्थात् कुल ₹1,61,68,360.00 /-(एक करोड़ एकसठ लाख अड़सठ हजार तीन सौ साठ रुपए) मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा Knowledge Partner for Investment Promotion and Investor Facilitation के रूप में चयनित M/s Ernst & Young LLP, Haryana द्वारा किये गये कार्यों के विरुद्ध किया जायेगा।

3. M/s Ernst & Young LLP, Haryana के साथ एग्रीमेन्ट के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

4. राशि का व्यय बजट मुख्य शीर्ष 2852, उद्योग उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता माँग संख्या-23, उपशीर्ष 0142-प्रोजेक्ट एवं फिजिविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य विपत्र कोड 23-2852801020142 के विषय शीर्ष 0142.28.04 व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद में उपबंधित राशि से ₹1,61,68,360.00 /-(एक करोड़ एकसठ लाख अड़सठ हजार तीन सौ साठ रुपए) मात्र विकलित होगा, जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है। इस राशि के निकासी पूर्ण प्रमाणीकृत अभिश्रव के आधार पर बी0टी0सी0 फार्म 25 से की जायेगी।"

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि पूर्ण प्रमाणक के आधार पर बी0 टी0 सी0 फार्म-25 पर करेंगे एवं M/s Ernst & Young LLP, Haryana के चालू खाता संख्या-054324645002 IFSC Code-HSBC0110005, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) Jmd Regent Square, Dlf Phase II, Gurgaon Mehrauli Road, Haryana 122002 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

6. इस योजना के मुख्य नियंत्रि पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।
7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०एस०आई०पी०बी०/विविध (E & Y Knowledge Partner)/86/21 के पृष्ठ-145/टि० पर दिनांक-19.03.2026 को प्राप्त है।
8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं०-एस०आई०पी०बी०/विविध (E & Y Knowledge Partner)/86/21 के पृष्ठ-145/टि० पर दिनांक-19.03.2026 को प्राप्त है।
9. उक्त राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय पत्रांक 2561 वि० (2), दिनांक-17.04.98 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:-7355/ वि० (2), दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि: सहायक उद्योग निदेशक (लेखा)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को मूल अभिश्रव (दो प्रतियों में) सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक-21/03

ज्ञापांक- 91PB/795

प्रतिलिपि:- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सचिव, उद्योग विभाग के निजी सचिव/आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-9, उद्योग निदेशालय/लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा-1 योजना (स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

21/03/26

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

20/03/2026